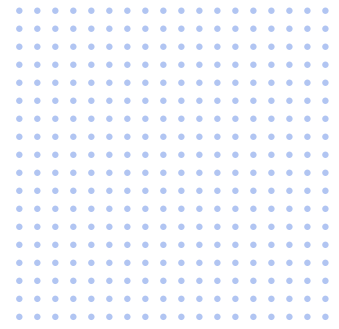




FOR UGC NET EXAM PREPARATION

UGC NET Syllabus · Criminology

EXAM	YEAR	TYPE	SUBJECT
UGC NET	—	Syllabus	Criminology



UNIVERSITY GRANTS COMMISSION NET BUREAU

Subject: CRIMINOLOGY

Code No. : 68

SYLLABUS

Unit - I

Crime as a Legal, Social and Psychological Construct; Deviance and Crime; *Traditional Crimes*: Crimes against Property and Person (Children, Women, Lesbian, Gay, Bi-sexual, Transgender, Queer (LGBTQ), Marginalized, Men). *Victimless Crimes*: Alcoholism, Drug Addiction, Beggary, Commercial Sex, Suicide; *Family centred Crimes*: Dowry, Domestic Violence, Child Abuse; Community Problems: Inter-religion and Inter-caste tensions and conflicts. *Modern Crimes*: Organized Crimes, Economic Crimes, Corruption, Corporate Crimes, Development induced Crime, Environmental Crimes, Hate Crimes, Cyber Crimes and Cyber assisted Crimes. Terrorism and Insurgency; Crime and Politics. Media, Technology and Crime. Transnational Crimes.

Unit – II

Criminology: Definition and Scope; Criminology and other Social Sciences; Criminology vs. Criminal Justice. Structure of Criminal Justice System in India; Role of Legislature and Law making; Coordination among Criminal Justice System. Participation of Victims and Witnesses in the Criminal Justice Process. Crime Prevention: Neighbourhood Involvement, Situational Crime Prevention, Crime Prevention through Environmental Design (CPTED), Electronic Monitoring.

Unit - III

Schools of Criminology: Demonology, Classical, Neo-Classical Schools, Positivist / Positive School, Cartographic School, Biological and Constitutional School - Body Types, Hereditary Traits, Endocrine Glands; Economic Theories of Crime; Multiple Factors. *Psycho-Analytical Theories* and Psychopathic Personality. *Social Strain Theories*: Anomie theory, Culture conflict and Sub culture theory. *Social Ecology Theories*: Concentric Zone theory, Environmental Criminology, Social disorganization theory, Lower class culture theory. *Social Learning Theories*: Theory of Imitation, Differential Association Theory, Differential Identification theory, and Differential opportunity theory.

Unit - IV

Social Control Theories: Drift and Neutralization theory, Containment theory, Social bond theory. *Social Conflict Theories:* Labelling Theory, Radical Criminology, Conflict Criminology, Critical Criminology, Realist Criminology. *Modern Theories:* Routine Activities theory, Rational Choice theory, Shaming theory, Broken windows theory, Feminist Criminology, Masculinity theory, Life Course theory, Integrated theories, Space Transition theory. *Contemporary Perspectives:* Cultural Criminology, News making Criminology, Peacemaking Criminology, Green Criminology, Visual Criminology, Cyber Criminology, Positive Criminology, Translational Criminology.

Unit - V

Legal Approaches: Accusatorial and Inquisitorial; Substantive and Procedural Laws- Criminal Liability, Strict Liability; Indian Penal Code-General Exceptions, Offences Against Property; Criminal Procedure Code; Cognizable and Non-Cognizable offences, Bailable and Non-bailable, Compoundable and Non-compoundable offences; Investigation of Crimes; Complaint, F. I. R. Arrest, Search, Seizure, Police Custody, Judicial Remand and Bail; Types of Evidence, Admissibility of Confession, Dying declaration. Human Rights: Fundamental rights, Rights of accused and victims, Rights of persons in custody, Rights of prisoners. Supreme Court Landmark Judgments on Criminal Justice Reforms, The Protection of Human Rights Act, Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO) Act - Salient features.

Unit - VI

Criminological Research: Importance and Types - Descriptive, Analytical, Experimental, Exploratory and Doctrinal. Quantitative vs Qualitative research. Mixed Methods. Main Steps in Criminological Research. Ethics and Confidentiality in Criminal Justice Research. Researcher Fraud and Plagiarism. Crime and Criminal Justice Data. Statistical Applications in Criminological Research.

Unit - VII

Penology – definition, nature and scope. Punishment-in ancient, medieval and modern times. Punishment: Significance, Concept, Aims and Types. Theories of Punishment. Sentencing – Principles, Policies and Procedures. Capital Punishment. Recent approaches to Punishment – Restorative Justice, Restitution and Victim-offender Mediation. History and evolution of Prison legislations – Prison Manuals and rules. Various Prison Reforms Committees and Commissions. Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (Tokyo Rules) and Nelson Mandela Rules for the Treatment of Prisoners.

Unit - VIII

Development of various prison systems - Penitentiary, Pennsylvania, Auburn system. Evolution and development of Prison system in India. Institutional Treatment: Meaning and purpose. Prison Types and Classification of Prisoners. *Adult Institutions*: Central, District and Sub Jails. *Women Institutions*: Vigilance Home, Protective home. Open Prisons. Accommodation, food and medical care in prisons. Correctional Programmes – Educational, work and prison panchayats. *Community based Corrections*: Probation and Admonition: Concept and Scope, Historical development of probation. Probation in India – Probation of offenders Act. Parole: Meaning and Scope. After Care services in India. Current problems and challenges in Correctional Administration.

Unit - IX

Juvenile and Youth Justice: Definition and Concept. Delinquency. Children in conflict with Law; Children and Vulnerability. Truancy and Vagrancy. Youth Crimes. Main Features of latest Juvenile Justice Act; *Institutions*: Juvenile Justice Board, Child Welfare Committee, Observation Homes, Juvenile Homes, Special Homes, and 'fit' Institutions; Juvenile Aftercare Services. Juvenile Police Unit. *UN Documents*: United Nations Standard Minimum Rules for Juvenile Justice (Beijing Rules) and UN Riyadh Guidelines. Prevention of Delinquency.

Unit - X

Historical development of Victimology. Basic Concepts of Victimology. UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, 1985. Victim – Offender relationship. Impact of Victimization– Physical, Financial and Psychological (including Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), (Acute Stress Disorder (ASD), resilience, posttraumatic growth, anger and the way victims are viewed) Impact. Primary, Secondary and Tertiary Victimization. Role of NGOs in Victim Assistance. *Criminological perspectives*: Repeat victimization, routine activities, lifestyle exposure, fear of crime, punitivity and victimization surveys including cost of crime. Effects of crime on victims. *Legal perspectives*: Rights of the Crime Victims as per Criminal Procedure Code (CrPC) and other Laws- Victim Compensation Schemes. *Contemporary Developments in Victimology*: Mass Victims and Mass Victimization, Clinical Victimology, Therapeutic Jurisprudence, Cyber Victimology, Positive Victimology.

* * * * *



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट-ब्यूरो

Code No. : 68

विषय: अपराध शास्त्र

पाठ्यक्रम

इकाई-1:

अपराध का वैधानिक, सामाजिक एवम् मनोवैज्ञानिक परिपेक्ष, विचलन एवम् अपराध, परम्परागत अपराध : सम्पत्ति से संबंधित अपराध, मानव के विरुद्ध अपराध (बच्चों, महिलाओं, एल.जी.सी.टी.क्यू.ए. पुरुषों); पीड़ित विहीन अपराध- शराब व्यसन, मादक द्रव्य व्यसन, भिक्षावृत्ति, व्यावसायिक यौन सम्बन्ध, आत्महत्या; पारिवारिक अपराध : दहेज, घरेलू हिंसा, बच्चों का शोषण, सामुदायिक समस्याएँ; अंतरधर्म एवम् अंतरजातीय तनाव एवम् संघर्ष, आधुनिक अपराध : संगठित अपराध, आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार, कॉरपोरेट अपराध, विकास प्रेरित अपराध, साईबर अपराध एवम् साईबर सहायक अपराध, आतंकवाद एवम् विद्रोह, अपराध एवम् राजनीति, मीडिया, तकनीक एवम् अपराध : अन्तर्राष्ट्रीय अपराध।

इकाई-2:

अपराधशास्त्र : परिभाषा एवम् क्षेत्र, अपराध शास्त्र एवम् अन्य सामाजिक विज्ञान, अपराध शास्त्र बनाम अपराधिक न्याय, भारत में अपराधिक न्याय व्यवस्था का ढाँचा, कानून बनाने में विधायिका की भूमिका, अपराधिक न्याय व्यवस्था में समन्वय, अपराधिक न्याय प्रक्रिया में पीड़ितों एवम् गवाहों की भागीदारी, स्थान विषयक योजना द्वारा अपराध निरोध (सी. पी. टी. ई. डी.), इलेक्ट्रॉनिक निगरानी।

इकाई-3:

अपराध शास्त्र के सम्प्रदाय : पिशाच विद्या, शास्त्रीय, नव-शास्त्रीय सम्प्रदाय, सकारात्मक सम्प्रदाय, चित्राकेन सम्प्रदाय, जैविक एवं शारीरिक संरचना एवम् बनावट सम्प्रदाय, आनुवांशिक लक्षण, अन्तः स्रावी ग्रंथि। अपराध के आर्थिक सिद्धान्त, बहु कारक सिद्धान्त। मनोविक्षेपणात्मक सिद्धान्त और मनोविकारात्मक व्यक्तित्व। सामाजिक तनाव सिद्धान्त : अनोमी सिद्धान्त, सांस्कृतिक द्वन्द्व और उप-संस्कृति सिद्धान्त। सामाजिक

पारिस्थितिकी सिद्धान्त : सेंकेंद्रिक खंड, पर्यावरणक अपराध शास्त्र, सामाजिक विघटन सिद्धान्त, निम्न वर्ग संस्कृति सिद्धान्त। सामाजिक अधिगम सिद्धान्त : अनुकरण का सिद्धान्त, विभेदक साहचर्य सिद्धान्त, विभेदक पहचान सिद्धान्त और विभेदक अवसर सिद्धान्त।

इकाई-4:

सामाजिक नियन्त्रण सिद्धान्त : विभार्ग और अप्रभावीकरण सिद्धान्त, परिरोधन सिद्धान्त, सामाजिक बन्धन सिद्धान्त। सामाजिक संघर्ष सिद्धान्त : लेबलिंग सिद्धान्त, आमूल अपराध शास्त्र, संघर्ष आपराध शास्त्र, जटिल (क्रिटिकल) अपराध शास्त्र, यथार्थवादी अपराधशास्त्र। आधुनिक सिद्धान्त : नियत गातिविधि सिद्धान्त, युक्तिपूर्ण विकल्प, शर्मिंदगी सिद्धान्त, ब्रोकर विंडोज सिद्धान्त, नारीवादी अपराधशास्त्र, पुरुषत्व सिद्धान्त, जीवन क्रम सिद्धान्त, एकीकृत सिद्धान्त, स्थल संक्रमण। समकालीन परिप्रेक्ष्य : सांस्कृतिक अपराधशास्त्र, अपराध और न्याय से सम्बन्धित समाचार बनाने वाला अपराधशास्त्र, शान्ति स्थापन अपराध शास्त्र, हरित अपराध शास्त्र, दृश्य अपराध शास्त्र, साइबर अपराध शास्त्र, सकारात्मक अपराधशास्त्र, अन्तरणीय अपराधशास्त्र।

इकाई-5:

कानूनी उपागम : अभियोजकीय प्रणाली और दोषारोपकीय प्रणाली : सारभूत और प्रक्रियात्मक विधि – आपराधिक दायित्व, कठोर दायित्व : भारतीय दंड संहिता – सामान्य अपवाद, संपत्ति से सम्बन्धित अपराध, अपराध प्रक्रिया संहिता, संज्ञेय और गैर-संज्ञेय अपराध, जमानत योग्य और गैर-जमानत योग्य अपराध, शमनीय और गैर-शमनीय अपराध, अपराधों का अन्वेषण, प्रथम सूचना प्रतिवेदन, गिरफ्तारी, तलाशी, जव्तगी, पुलिस अभिरक्षा, न्यायिक हिरासत (रिमांड) और जमानत, साक्ष्य के प्रकार, इकबालिया बयान की स्वीकार्यता, मृत्युकालिक कथन, मानवाधिकार, मौलिक अधिकार, अभियुक्त और पीड़ित के अधिकार, अभिरक्षा में रखे गए व्यक्ति के अधिकार, बंन्दियों के अधिकार, आपराधिक न्याय सुधार संबंधी उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण, निर्णय, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉस्को) अधिनियम – मुख्य – मुख्य बातें।

इकाई-6:

अपराध शास्त्रीय महत्व एक प्रकार – शोध, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक, प्रयोगात्मक, व्याख्यात्मक और सैद्धांतिक। मात्रात्मक बनाम गुणात्मक शोध, मिश्रित पद्धति, अपराधशास्त्रीय शोधों के मुख्य चरण – नीतिपरक और गोपनीयता। आपराधिक न्याय सम्बन्धित शोध, शोधकर्ता द्वारा किया जाने वाला कपट और

साहित्यिक-चोरी। अपराध और आपराधिक न्याय संबंधी आंकड़े। अपराधशास्त्रीय संबंधी शोध में सांख्यिकीय अनुप्रयोग।

इकाई-7:

दंडशास्त्र - परिभाषा, प्रकार और विषय-क्षेत्र, दंड – प्राचीन काल में, मध्य काल में और आधुनिक काल में।

दंड : महत्व, अवधारणा, उद्देश्य और प्रकार। दंड के सिद्धान्त – सजा देना : सिद्धान्त, नीतियां और प्रक्रिया। मृत्यु दंड। दंड के नये उपागम – प्रत्यावर्ती न्याय, प्रत्यास्थापन और पीड़ित – अपराधी मध्यस्थता, कारागार विधान का इतिहास और क्रमिक विकास — जेल मैनुअल और नियम। कारागार सुधार संबंधी विभिन्न समितियां और आयोग। गैर-अभिरक्षीय उपायों (टोक्यों नियम) से सम्बन्धित मानक न्यूनतम नियम और कैदियों के साथ किए जाने वाले व्यवहार सम्बन्धी नेल्सन मंडेला नियम।

इकाई-8:

कारागार संबंधी विभिन्न प्रणालियों का विकास – पैनीसिएन्टी, पोन्सिल्वानिया, आर्बन प्रणाली। भारत में कारागार प्रणाली का उद्भव और विकास।

संस्थात्मक उपचार : अर्थ और उद्देश्य। कारागारों के प्रकार और कारागारों का वर्गीकरण, वयस्कों हेतु संबंधित संस्थाएं : केन्द्रीय, जिला और उप जेल, महिलाओं से संबंधित संस्थाएं : निगरानी गृह, सुरक्षा गृह। खुली जेल। कारागारों में आवास, भोजन और चिकित्सा सुविधाएं, सुधारात्मक कार्यक्रम, शैक्षिक, कार्य और बंदियों की पंचायत।

समुदाय सुधार : परिवीक्षा और चेतावनी : अवधारणा का और विषय-क्षेत्र, परिवीक्षा का ऐतिहासिक विकास। भारत में परिवीक्षा – अपराधी परिवीक्षा अधिनियम। पैरोल- अर्थ और विकास क्षेत्र। भारत में जेल से रिहा हुए बंदियों की देखभाल। सुधारात्मक प्रशासन में वर्तमान समस्याएं और चुनौतियां।

इकाई-9:

किशोर और युवा न्याय : परिभाषा और अवधारणा। अपचार। अपराध में संघर्षरत बच्चों। बच्चों और सुभेदा भगोडापन एवम् आवारागर्दी, युवाओं द्वारा किये गए अपराध, नवीनतम बाल न्याय अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ, बाल संस्थाएं : बाल न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, प्रक्षेण गृह, किशोर गृह, विशेष गृह और 'उपयुक्त' संस्थाएं, बाल उत्तररक्षण सेवाएं। बाल पुलिस इकाई।

यू.एन. के प्रलेख : बाल न्याय संबंधी संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियम (बीजिंग नियम) और यू.एन. रियाध सम्बन्धी दिशानिर्देश। अपचार निवारण।

इकाई-10:

पीड़ित शास्त्र का ऐतिहासिक विकास : मूल अवधारणाएँ, अपराध-पीड़ित और शक्ति के दुरुपयोग से सम्बन्धित न्याय के आधारभूत सिद्धान्त संबंधी यू.एन. घोषणा, 1985, पीड़ित – अपराधी सम्बन्ध।

उत्पीड़न का प्रभाव – शारीरिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक (पी ची एस डी, ए एस डी, प्रत्यास्थ, प्रश्न-अभिघतीय वृद्धि, क्रोध और पीड़ित के प्रति दृष्टिकोण) प्रभाव। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय उत्पीड़न। पीड़ित की सहायता में गैर-सरकारी संगठनों (एन जी ओ) की भूमिका। आपराधिक परिदृश्य : बार-बार उत्पीड़न, नियमित क्रियाकलाप, जीवन-शैली का प्रदर्शन, अपराध का भय, दंडात्मकता और उत्पीड़न सर्वेक्षण, अपराध की लागत सहित पीड़ितों पर अपराध के प्रभाव।

कानूनी परिप्रेक्ष्य : दंड प्रक्रिया संहिता और अन्य कानूनों के अनुसार अपराध पीड़ित के अधिकार- पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना।

उत्पीड़ित व्यक्तियों का शास्त्र : बड़ी संख्या में उत्पीड़ित और उत्पीड़न, उपचारात्मक पीड़ित शास्त्र, चिकित्सीय विधिशास्त्र, साइबर पीड़ित व्यक्तियों का शास्त्र, सकारात्मक पीड़ित व्यक्तियों का शास्त्र।